कारपोरेट अंदाज में काम करेगा सरकारी महकमा

Dec 02, 09:37 pm

पटना, जागरण ब्यूरो : बेहतरी की बुलंदी के लिए सरकारी महकमा भी कारपोरेट अंदाज में काम करेगा। निचले स्तर के कार्यालयों में साप्ताहिक कार्ययोजना के आधार पर काम होगा। नियमित समीक्षा होगी। पहले और विलंब से आने वाले कर्मी का बोर्ड पर रोज नाम अंकित होगा। डीएम कार्यालय में भी इसकी व्यवस्था होगी। प्रोत्साहन के लिए तीसरे और चौथे वर्ग के कर्मचारियों में से एक को हर माह सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी घोषित किया जायेगा। बोर्ड पर उसकी तस्वीर चिपकेगी। पुरस्कार और प्रमाणपत्र भी दिया जायेगा। मकसद साफ है कार्यसंस्कृति में सुधार और समय पर काम का निपटारा।

इन्हीं सब को केन्द्र में रख कार्मिक सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। दूसरी पाली की कमान संभालने के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को राहत पहुंचाने के लिए पब्लिक 'डिलीवरी सिस्टम' दुरुस्त करने का निर्देश दिया था। काम में विलंब करने वालों को हर्जाना भरना होगा ऐसी चेतावनी भी दी गयी। इसके लिए 'राइट टू सर्विस एक्ट' लागू करने की तैयारी है।

इसी आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। कहा है कि समाहरणालय राज्य सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई है। इसी स्तर पर आम जनता का सम्पर्क शासन से होता है। जनता की अपेक्षाओं और समस्याओं के संतोषप्रद समाधान की दिशा में समाहरणालयों और अधीनस्थ कार्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए जरूरी है कि इन कार्यालयों में संवेदनशील और सुव्यवस्थित पब्लिक डिलीवरी सिस्टम काम करे।

इस कड़ी में पहली प्राथमिकता समय की प्रतिबद्धता कायम करना है। समय पर कर्मचारी उपस्थित हों और समय पर संचिकाओं, पत्रों का निष्पादन हो।

इसी क्रम में कर्मचारियों एवं लिपिकों की कम से कम हर माह दो बैठक करने का निर्देश है। जिसमें कर्मियों की समस्याएं सुनी जायेंगी तो विभागीय निर्देश से अवगत कराया जायेगा। सप्ताह के हर सोमवार को पूरे सप्ताह की कार्य योजना पर विचार के लिए बैठक होगी और बीते सप्ताह की प्रगति की समीक्षा भी होगी। यह बैठक प्रशाखाओं के लिपिकों, प्रधान लिपिकों, अन्य अधिकारियों के साथ अलग-अलग होगी। बीच में गुरुवार को प्रधान लिपिकों द्वारा पुन: सप्ताह की कार्य योजना की प्रगति की समीक्षा की जायेगी।